1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े **तालिका 1.1.1** में वर्णित हैः

तालिका - 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	**राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	• कर राजस्व	7,123.25	9,005.14	10,712.25	13,034.21	14,342.71
	• कर भिन्न राजस्व	3,043.00	3,835.32	4,058.48	4,615.95	5,101.17
	योग	**10,166.25**	**12,840.46**	**14,770.73**	**17,650.16**	**19,443.88**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम	4,380.66	5,425.19	6,320.44	7,217.60	7,880.22[1]
	• सहायता अनुदान	3,606.74	4,453.89	4,776.21	4,710.33	4,726.16
	योग	**7,987.40**	**9,879.08**	**11,096.65**	**11,927.93**	**12,606.38**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**18,153.65**	**22,719.54**	**25,867.38**	**29,578.09**	**32,050.26**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**56**	**57**	**57**	**60**	**61**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (19,443.88 करोड़) कुल राजस्व का 61 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान शेष राजस्व 39 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे **तालिका 1.1.2** में वर्णित हैः

[1] विवरण के लिय कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे वर्ष 2013-14 (कर राजस्व) तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कॉरपोरेशन कर, 0021- आय कर कार्पोरेशन कर को छोड़कर, 0032- संपत्ति कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर के अंतर्गत लघु शीर्ष 901- राज्यों को समानुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के दर्ज राशि कर-राजस्व के अंतर्गत दिखाए गए है, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संघीय करों में राज्यांश में सम्मिलित किया गया।

तालिका - 1.1.2
संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	बजट अनुमान (ब.अ.)	3,447.12	4,524.13	6,000.00	7,310.20	8,436.00	15.40
		वास्तविक	3,712.16	4,840.79	6,006.25	6,928.65	7,929.51	14.45
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	ब.अ.	1,158.00	1,390.00	1,550.00	2,200.00	2,675.00	21.59
		वास्तविक	1,187.72	1,506.44	1,596.98	2,485.68	2,549.15	2.55
3.	विद्युत पर कर और शुल्क	ब.अ.	528.25	554.31	600.00	780.00	1,000.00	28.21
		वास्तविक	416.91	502.53	637.97	860.75	1,020.44	18.55
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	ब.अ.	515.00	650.35	875.00	950.00	1,150.00	21.05
		वास्तविक	583.13	785.85	845.82	952.47	990.24	3.97
5.	माल और यात्रियों पर कर	ब.अ.	560.00	6.16	700.00	950.00	1,192.00	25.47
		वास्तविक	696.10	675.14	825.67	954.31	945.44	(-) 0.93
6.	वाहनों पर कर	ब.अ.	351.47	410.00	475.00	605.71	731.38	20.74
		वास्तविक	351.88	427.52	502.18	591.75	651.07	10.02
7.	भू-राजस्व	ब.अ.	120.36	170.00	250.00	346.00	415.00	19.94
		वास्तविक	159.68	247.37	270.56	234.11	226.06	(-) 3.44
8.	अन्य कर राजस्व	ब.अ.	11.54	13.90	12.14	19.27	25.62	32.95
		वास्तविक	15.67	19.50	26.82	26.49	30.80	16.31
योग		**ब.अ.**	**6,691.74**	**7,718.85**	**10,462.14**	**13,161.18**	**15,625.00**	**18.72**
		वास्तविक	**7,123.25**	**9,005.14**	**10,712.25**	**13,034.21**	**14,342.71**	**10.03**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारण निम्न प्रतिवेदित किये गयेः

विद्युत पर कर और शुल्कः वृद्धि (18.55 प्रतिशत) करों में वृद्धि एवं पिछली वर्षों के विद्युत शुल्क/उपकर की प्राप्ति से हुई।

वाहनों पर करः वृद्धि (10.02 प्रतिशत) नए वाहनों की पंजीकरण में वृद्धि के कारण हुई।

बिक्री, व्यापार आदि पर करः वाणिज्यिक कर विभाग ने अनुरोध किये जाने (अप्रैल 2014 और जून 2014), के बावजूद भी पूर्व वर्षों की तुलना में प्राप्तियों के अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया।

1.1.3 वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे **तालिका 1.1.3** में वर्णित हैः

तालिका 1.1.3
संग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012-13 की तुलना में 2013-14 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	ब.अ.	1,685.40	2,150.00	2,700.00	3,105.00	3,510.00	13.04
		वास्तविक	1,660.87	2,470.44	2,744.82	3,138.18	3,236.01	3.12
2.	अन्य	ब.अ.	887.89	832.62	852.07	624.54	1,048.86	67.94
		वास्तविक	710.21	666.76	418.96	513.45	729.70	42.12
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	365.00	400.00	400.00	405.00	450.00	11.11
		वास्तविक	345.85	305.17	341.64	363.96	405.91	11.53
4.	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	262.19	232.63	302.40	321.94	399.14	23.98
		वास्तविक	220.70	170.95	216.57	243.13	380.64	56.67
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	ब.अ.	129.00	285.40	282.71	391.46	426.11	8.85
		वास्तविक	105.37	222.00	336.49	357.23	348.64	(-)2.40
योग		ब.अ.	**3,329.48**	**3,900.65**	**4,537.18**	**4,847.94**	**5,834.11**	**20.34**
		वास्तविक	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**5,101.17**	**10.51**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

वानिकी एवं वन्य जीवनः वृद्धि (11.53 *प्रतिशत*) वन उत्पाद की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

1.2 बकाया राजस्व का विश्लेषण

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2014 तक बकाया राजस्व ₹ 809.01 करोड़ सूचित किया गया जिसमें से ₹ 452.45 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित था, जो **तालिका 1.2** में वर्णित हैः

तालिका 1.2
बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया राशि	31 मार्च 2014 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	टिप्पणी
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	607.03	419.54	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है।
2.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	131.38	2.67	पन्द्रह प्रकरणों में ₹ 63.15 करोड़ की आर.आर.सी. जारी की गई है और शेष राशि के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	30.45	21.87	ये प्रकरण उच्च न्यायालय, राजस्व मंडल और आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है।
4.	वाहनों पर कर	20.55	4.09	संबंधित वाहन मालिकों को वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।
5.	मुद्रांक फीस एवं पंजीयन शुल्क	15.37	1.50	जिला पंजीयक मांग पत्र जारी करेगें और वसूली के लिए आवश्यक कदम उठायेगें।
6	वानिकी एवं वन्य जीव	3.15	1.70	विभाग द्वारा कारणों से अवगत नहीं कराया गया।
7.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	1.08	1.08	खनन अधिकारियों को वसूली के विशेष पहल के लिए आदेश जारी किये गये हैं।
योग		**809.01**	**452.45**	

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदाय किए गये अनुसार)

तालिका यह दर्शाती है कि पाँच वर्षों से अधिक का बकाया राशि ₹ 452.45 करोड़ थी जो कि कुल बकाया राशि का 56 प्रतिशत थी और इसकी वसूली के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं किये गये। विभागीय अधिकारियों द्वारा बकाया राशि ₹ 809.01 करोड़ लंबित था।

1.3 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं निर्माण कार्य करार पर कर के संबंध में सूचित किया गया, **तालिका 1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका 1.3
कर निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व का शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2013-14 के दौरान कर निर्धारण हेतु नए प्रकरण	कुल लंबित कर निर्धारण	2013-14 के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
मूल्य संवर्धित कर	53,305	57,853	1,11,158	49,778	61,380	44.78
वृत्ति कर	5,866	10,915	16,781	5,741	11,040	34.21
प्रवेश कर	24,234	24,812	49,046	31,112	17,934	63.43

विलासिता कर	366	474	840	464	376	55.24
निर्माण कार्य करार पर कर	3,190	2,711	5,901	4,010	1,891	67.95
योग	**86,961**	**96,765**	**1,83,726**	**91,105**	**92,621**	**49.59**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 50 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

अधिकतम राजस्व हेतु शासन इन लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगों के विवरण **तालिका 1.4** में वर्णित हैः

तालिका 1.4
कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान के प्रकरण	कुल	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण कर शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2014 तक लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	171	89	260	221	92.90	39
योग		**171**	**89**	**260**	**221**	**92.90**	**39**

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदत्त आकड़े)

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के प्रारंभ में लंबित प्रकरणों की संख्या की तुलना में कमी हुई।

तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि विभाग ने 221 प्रकरणों का निराकरण किया, जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान निराकरण हेतु कुल बकाया प्रकरणों के 85 प्रतिशत है।

1.5 लंबित प्रतिदाय प्रकरण

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2013-14 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदायों और वर्ष 2013-14 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.5** में वर्णित हैः

तालिका 1.5
लंबित प्रतिदाय प्रकरणों की जानकारी

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	विक्रय कर/वेट	
		संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	217	13.44
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	2,939	188.73
3.	वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय	2,300	175.33
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	856	26.84

(स्रोतः विभागो द्वारा प्रदत्त आकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 73 प्रतिशत प्रकरणों में ही केवल प्रतिदाय प्रदाय किया गया।

छत्तीसगढ़ वैट कर अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि यदि व्यवसायी को अधिक राशि प्रतिदाय आदेश के 60 दिनों के पश्चात् भी वापस नहीं किया जाता है तो प्रतिदाय दिनांक तक एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अतः विलम्ब से भुगतान किए गये प्रतिदाय पर ब्याज का दायित्व आता है।

1.6 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

जून 2014 तक जारी 2,645 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,419 कंडिकाओं में ₹ 6,090.69 करोड़ की राशि लंबित थी जो पिछले दो वर्षों के आकड़ों के साथ **तालिका 1.6** में दर्शित हैः

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,185	2,549	2,645
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	8,428	9,943	10,419
सन्निहित राजस्व राशि *(₹ करोड़ में)*	4,495.26	5,930.53	6,090.69

1.6.1 30 जून 2014 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 1.6.1** में दिया गया है:

तालिका 1.6.1

विभागावार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति		लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		416	2,614	375.67
2.	वाणिज्यिक कर (उत्पाद)	राज्य उत्पाद		123	332	328.54
		मनोरंजन कर		65	85	1.97
3.	राजस्व	भू-राजस्व		553	1,684	457.08
4.	परिवहन	वाहनों पर कर		137	1,009	130.66
5.	वाणिज्यिक कर (पंजीयन)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क		223	611	85.30
6.	खनिज संसाधन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		134	452	819.21
7.	वन	वानिकी एवं वन्य जीवन	प्राप्तियाँ	321	960	1,005.42
			व्यय	371	1,558	591.11
8.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क		13	62	1,644.41
9.	राजस्व मंडल		व्यय	1	10	0.13
10	अन्य कर विभाग	अन्य कर प्राप्तियाँ	राजस्व	288	1,042	651.19
योग				**2,645**	**10,419**	**6,090.69**

मार्च 2013-14 के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 85 निरीक्षण प्रतिवेदनों (69.67 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रति गंभीर नहीं है।

विभागाध्यक्ष लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को गंभीरता से लें और निर्धारित अवधि में उत्तर उपलब्ध करावें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण **तालिका 1.6.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	बैठकों की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि
1.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	01	0	0
2.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	02	43	2.24
योग		**03**	**43**	**2.24**

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान खनिज संसाधन और वाणिज्यिक कर विभाग ने क्रमशः एक और दो विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें आहुत की गई जिसमें 43 कंडिकाएं जिनमें राशि ₹ 2.24 करोड़ सम्मिलित है, निराकृत की गयी। विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बावजूद भी खनिज संसाधन एवं वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं की अतिलंबिता की तुलना में नगण्य है। अन्य विभागों ने विभागीय लेखापरीक्षा बैठकों को आहुत करने की पहल नहीं की।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लंबित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा सामयिक विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.3 लेखापरीक्षा को परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे कि वे संबंधित दस्तावेजों को लेखापरीक्षा जांच के लिए तैयार कर सकें।

वर्ष 2013-14 के दौरान 67 कर निर्धारण नस्ती, विवरणी प्रतिदाय रजिस्टर और अन्य संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। उन प्रकरणों को **तालिका 1.6.3** में निर्धारित कर दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.3
अप्रस्तुत प्रकरणों की जानकारी

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा किया जाना था	प्रकरणों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी	कर राशि
वाणिज्यिक कर(पंजीयन)	2013-14	39	लागू नहीं
वाणिज्यिक कर विभाग	2013-14	25	लागू नहीं
भू-राजस्व	2013-14	03	लागू नहीं
योग		**67**	

अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है उससे वंचित करता है।

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार द्वारा विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्र प्रेषित कर छः सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

47 प्रारूप कंडिकाएं जो 25 कंडिकाओं में समाहित है, तथा दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत कंडिका संबंधित विभागों के सचिवों को मई 2014 एवं अगस्त 2014 के मध्य भेजा गया। **विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा 20 प्रारूप कंडिकाओं का कोई जवाब नहीं भेजा गया तथा उन्हें जिन्हें विभागीय जबावों के बिना प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।**

1.6.5 लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित 131 कंडिकाएँ (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) राज्य विधान सभा के समक्ष फरवरी 2009 और मार्च 2013 के मध्य रखी गई थी। संबंधित विभागों का उन कंडिकाओं पर कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सापेक्ष में औसत चार माह के विलंब से प्राप्त हुई। अभी तक (31 मार्च 2014) पाँच विभागों (भू-राजस्व, खनिज संसाधन, राज्य आबकारी, वन और वित्त) से 31 मार्च 2004 से 2012 अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 13 कंडिकाओं के संबंध में कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 1999-2000 से 2009-10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 87 कंडिकाओं का चयन किया और अपने 2003-04 से 2012-13 के प्रतिवेदनों में 66 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ सम्मिलित की। तो भी लोक लेखा समिति के 14 अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा कार्यवाही की टीप अनुशंसाएँ प्राप्त नहीं हुई जिनका विवरण **तालिका 1.6.5** में वर्णित है।

तालिका 1.6.5
अनुशंसाओं के सापेक्ष में अप्राप्त कार्यवाही की टीप (ए.टी.एन.) का विवरण

वर्ष	विभाग का नाम							कुल
	राज्य उत्पाद	ऊर्जा	पंजीयन	परिवहन	वाणिज्यिक कर	भौमिकी एवं खनिकर्म	राज्य उत्पाद	
1999-00	1	--	--	--	--	--	--	1
2000-01	--	--	1	--	--	--	--	1
2002-03	--	--	--	--	3	--	--	3
2004-05	--	1	--	--	--	1	--	2
2005-06	--	--	--	--	--	1	--	1
2006-07	--	--	--	--	1	--	--	1
2007-08	1	--	--	2	--	--	1	4
2008-09	--	--	--	1	--	--	--	1
योग	**2**	**1**	**1**	**3**	**4**	**2**	**1**	**14**

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

विभागों/शासन के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखांकित विषयों को निराकृत करने गत 10 वर्ष की लेखापरीक्षा कंडिकाएँ और निष्पादन लेखापरीक्षा पर कार्यवाही करने हेतु एक विभाग का मूल्याकंन कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाता है।

अग्रेत्तर अनुच्छेद 1.7.1 और 1.7.2 में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत राजस्व शीर्ष एवं विद्युत पर शुल्क की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है जिसमें गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये और ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षो के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2014 के अनुसार उनकी स्थिति **तालिका 1.7.1** में नीचे दी गई है।

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			तिमाही के दौरान निराकृत			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
		निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कंडिकाएँ	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2004-05	1	2	4.56	0	0	0.00	0	1	0.20	1	1	4.36
2.	2005-06	1	1	4.36	1	3	0.79	0	2	0.02	2	2	5.13
3.	2006-07	2	2	5.13	0	0	0.00	0	0	0.00	2	2	5.13
4.	2007-08	2	2	5.13	2	8	60.99	0	1	0.01	4	9	66.11
5.	2008-09	4	9	66.11	2	8	49.42	0	1	0.00	6	16	115.53
6.	2009-10	6	16	115.53	0	0	0.00	0	0	0.00	6	16	115.53
7.	2010-11	6	16	115.53	3	13	579.32	0	0	0.00	9	29	694.85
8.	2011-12	9	29	694.85	0	0	0.00	0	0	0.00	9	29	694.85
9.	2012-13	9	29	694.85	4	33	949.56	0	0	0.00	13	62	1,644.41
10.	2013-14	13	62	1,644.41	0	0	0.00	0	0	0.00	13	62	1,644.41

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2004-05 के प्रारंभ में एक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन में दो कंडिकाएँ थी जो 2013-14 के अन्त तक बढ़कर 13 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के 62 कंडिकाएँ हो गई। ऊर्जा विभाग के लिए कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक अभी तक नहीं हुई है।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो ऊर्जा विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे **तालिका 1.7.2** में वर्णित है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में 31.03.2014 तक वसूली की संचित स्थिति
2003-04	--	--	--	--	--	--
2004-05	--	--	--	--	--	--
2005-06	2	1.30	1	0.47	--	0.36
2006-07	--	--	--	--	--	--
2007-08	3	57.76	1	28.03	--	0.39
2008-09	3	23.79	2	21.51	--	17.50
2009-10	--	--	--	--	--	--
2010-11	1	1.13	1	1.13	--	0.99
2011-12	1	1,186.17	1	1,090.76	14.02	101.32
2012-13	--	--	--	--	--	--
योग	**10**	**1,270.15**		**1,141.90**	**14.02**	**120.56**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी है जबकि संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों में बकाया राशि के लिए प्रयास किया जाना था। आगे मुख्य विद्युत निरीक्षक ऊर्जा विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

विभाग को चाहिए कि स्वीकृत प्रकरणों में शामिल बकाया राशि की शीघ्र वसूली की प्रयास एवं निगरानी हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

1.7.3 विभाग/शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर बर्हिगमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में ऊर्जा विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए विषय पिछले पाँच लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति **तालिका 1.7.3** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.7.3

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2011-12	विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	5	1) शासन विचार करे कि ऐसी प्रणाली की स्थापना की जावे जिससे मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर नियमित रूप से जमा किए जा सकें तथा एक सामयिक विवरण निर्धारित करे जो मुख्य विद्युत निरीक्षण द्वारा शासन को देय हो जिसमें देय जमा और शेष शुल्क का विवरण हो।	सभी संभागीय अधिकारियों का विवरण जमा करने हेतु सूचित किया जा चुका है।
			2) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम/ उपकर अधिनियम में आवश्यक संशोधन करे ताकि उपकर का आरोपण दो विभिन्न जगहों पर न हो एवं जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार न पड़ें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			3) नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाने पर विद्यमान औद्योगिक नीति को वापिस लिया जाना सुनिश्चित करें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			4) विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट जारी किये जाने पर उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।	विभाग ने अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
			5) विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा का गठन करें।	आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने के लिए शासन को एक पत्र मई 2013 को भेजा गया था।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अतंर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे कि बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुसंशाएं, पिछले 5 वर्षो का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएं, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले 5 वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2013-14 के दौरान 456 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों से 120 ईकाईयों की योजना बनाई गई और 122 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों का 26.75 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा साथ-साथ की गई इसके फलस्वरूप नौ योजित ईकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी जबकि पूर्व चयनित ईकाईयों से बाहर 11 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई (***परिशिष्ट* 1.1**)।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये लेखापरीक्षा के अनुपालन में, इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक वृहत प्रारूप कंडिका की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन, भू-राजस्व, खनन एवं खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों के 122 ईकाईयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में अवनिर्धारण/ कम आरोपण/राजस्व

2

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम		लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	प्रकरणों की संख्या	राशि	स्वीकृत प्रकरण		वसूल की गई राशि	
						संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि कर		24	240	20.21	01	0.002	01	0.0085
2.	उत्पाद कर		05	2011	280.03	100	7.24	0	0
3.	भू-राजस्व		28	11,999	616.27	9,166	29.44	0	0
4.	वाहनों पर कर		09	1,10,930	6.13	1,10,930	6.13	0	0
5.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग		07	639	25.46	144	4.71	04	0.0513
6.	वन और वन्य जीवन	राजस्व (16)	22	56	217.51	10	0.16	0	0
		व्यय(16+6)		209	284.95	39	41.15	0	0
7.	मुद्रांक फीस एवं पंजीयन शुल्क		27	321	8.80	127	3.63	0	0
योग			**122**	**1,26,405**	**1,459.36**	**1,20,517**	**92.462**	**5**	**0.0598**

हानि के राशि ₹ 1,459.36 करोड़ के 1,26,405 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान संबंधित विभागों ने 1,20,517 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 92.46 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा आपत्तियों के पाँच प्रकरणों में ₹ 5.98 लाख वसूली की।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा (**आबकारी राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण**) और एक वृहत कंडिका (**प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण**) सहित 19 कंडिकायें जिसमें अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण इत्यादि जिसमें ₹ 288.99 करोड़ सन्निहित है जिसमें से 257.76 करोड़ शासन का संभावित हानि होने से अवसूली योग्य है को **भाग 'क'** में सम्मिलित किया गया है एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा (**छत्तीसगढ़ में बांस का उत्पादन एवं उपचार**) सहित छः कंडिकायें जिसमें वन विभाग में गलत दर लगाना, मांग जारी नहीं करना, अनियमित/परिहार्य व्यय इत्यादि के राशि ₹ 123.42 करोड़ के प्रेक्षण सन्निहित है को **भाग 'ख'** में सम्मिलित किया गया है। विभागों/शासन ने ₹ 90.19 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 1.19 करोड़ की वसूली की गई। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2014)। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय दो से सात में की गई है।